न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या

उपस्थितः रणंजय कुमार वर्मा ..... एच०जे०एस०

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 359/2026

[रजिस्ट्रेशन नम्बरः 739/2026]

[CNR No. UPFZ010019732026]

साहिल उर्फ इंजमामुल हक पुत्र एहसानुलहक, निवासी ग्राम चिर्रा मोहम्मदपुर, थाना रौनाही, जनपद अयोध्या।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ..... विपक्षी

---

1. प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 359/2026, मुकदमा अपराध संख्या 281/2018, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 427, 504, 506, 308 भा०दं०सं०, थाना रौनाही, जनपद अयोध्या के अभियोग में प्रस्तुत है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त अन्तरिम जमानत पर है तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय में आत्मसमर्पण के पश्चात् न्यायिक अभिरक्षा में है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के अनुसार उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में उसकी तरफ से कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न तो प्रस्तुत है, न विचाराधीन है और न ही निस्तारित हुआ है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से यह तर्क किया गया कि वह निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी अभियुक्त के किसी विशिष्ट रोल का उल्लेख नहीं है। उसके विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। वह अन्तरिम जमानत पर है। सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में इस न्यायालय से स्वीकृत है। वह जमानत देने के लिये तैयार है। अतः उसे जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

5. विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का विरोध किया गया।

6. सुना एवं सम्यक् अभिलेखों का परिशीलन किया।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा मूलचन्द का यह कथन है कि वादी

Digitally signed by RANJANJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.06.05 16:54:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

का पुत्र मंजीत कुमार इब्राहिमपुर दिवली थाना रौनाही के पास मोबाइल की दुकान करता है। आज समय लगभग 9.00 बजे रात्रि में दुकान बन्द करके आ रहा था, जैसे ही वह नहर के पुल पर चढ़ा, वहां वादी के पुत्र को जान से मारने की नीयत से करीब 15 लड़के लाठी डण्डा लेकर मौजूद थे और मंजीत को मारना शुरू कर दिये। किसी ने 100 नम्बर डायल कर पुलिस बुलाया। पुलिस जिला अस्पताल लेकर आयी और भर्ती कराया। मारने वाले कुछ लड़कों का नाम अल्तमस, कासिफ खान, आतिफ खान, आसिफ खान, सोनू, पिल्लू, मोनू, सद्दाम, सलमान, साहिल गुल्लुर खान है। अभियुक्तगण मोटरसाइकिल तोड़ दिये। लैपटाप एवं 112 मोबाइल एवं कुछ नकदी भी लूट लिये।

8. मजरूब की मेडिको लीगल रिपोर्ट में फटे हुये घाव, नीलगू निशान तथा खरोंच की सात चोटें होने का उल्लेख है, जिसमें एक चोट सिर पर है। चोटों की प्रकृति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और यह अंकित है कि मजरूब को भर्ती किया गया। चोटें सख्त व कुन्दालय से आने का उल्लेख है और डिस्चार्ज कार्ड के अनुसार मजरूब दिनांक 20.07.2018 से 24.07.2018 तक चोटों के इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती रहा। चोटों के लिये कोई एक्स–रे अथवा सी०टी० स्कैन किये जाने का कोई सन्दर्भ नहीं है, न ही ऐसी कोई रिपोर्ट ही उपलब्ध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण के विरूद्ध सामान्य आरोप लगाये गये हैं। मामले में आरोपपत्र प्रेषित है। प्रार्थी/अभियुक्त अन्तरिम जमानत पर है। उसके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास होना उल्लिखित नहीं है। अपराध अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास के दण्ड से दण्डनीय है। सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में इस न्यायालय से स्वीकृत है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण अवगुण पर टिप्पणी किये जमानत का संतोषजनक आधार है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 359/2026, मुकदमा अपराध संख्या 281/2018, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 427, 504, 506, 308 भा०दं०सं०, थाना रौनाही, जनपद अयोध्या में स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त को उसके द्वारा अपराध उपरोक्त में रूपये 50,000 (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय

की सन्तुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाए–

1. प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विचारण साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन साक्षियों पर कोई दबाव नहीं बनायेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।
4. प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि को विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
5. जमानत शर्तों का उल्लंघन करने पर अभियोजन की आग्रह पर उसकी जमानत रद्द की जा सकती है।

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या
JO CODE: UP1908

दिनांकः 05.06.2026